आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. 14036/435/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 19 जून ,2013

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत श्रीमती सरस्वती रोबिन द्वारा दायर की गई अपील।

जबकि, श्रीमती सरस्वती रोबिन, निवासी : आई-246, प्रथम तल, कर्मपुरा, नई दिल्ली-110015 ने अपने दिनांक 23.3.2013 के आर टी आई आवेदन का समुचित रूप से उत्तर न दिए जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपनी दिनांक 18.05.2013 की प्रथम अपील (इस अनुभाग में दिनांक 21.05.2013 को प्राप्त) प्रस्तुत की है।

2. जबकि, श्रीमती सरस्वती रोबिन का दिनांक 23.3.2013 का एक आर टी आई आवेदन इस अनुभाग में 17.04.2013 को प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी दिनांक 5.2.2013 की शिकायत पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। जबकि, आर टी आई की विषय-वस्तु नजदीकी तौर पर दिल्ली पुलिस से संबंधित थी, अत: इसे सूचना मुहैया कराने के लिए हमारे दिनांक 29.4.2013 के पत्र सं. 14036/314/2013-यू टी पी द्वारा पुलिस उपायुक्त, दिल्ली एवं लोक सूचना अधिकारी (पुलिस मुख्यालय), आई पी एस्टेट, नई दिल्ली को अंतरित कर दिया गया था।

3. जबकि, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (गृह मंत्रालय) के पास आवेदक को प्रदान करने के लिए कोई सूचना नहीं थी और उन्होंने उक्त आर टी आई आवेदन को दिनांक 29.4.2013 के पत्र सं. 14036/314/2013-यू टी पी के तहत सूचना मुहैया कराने के लिए विधिवत दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों को अंतरित कर दिया था।

4. आवेदक, यदि चाहे, तो मामले में किसी और जानकारी के लिए संबंधित लोक सूचना अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। श्रीमती सरस्वती रोबिन द्वारा प्रस्तुत की गई अपील का निपटान किया जाता है।

(के. के. पाठक)
संयुक्त सचिव (यू टी) एवं अपील प्राधिकारी
दूरभाष :23092514

श्रीमती सरस्वती रोबिन,
आई-246, प्रथम तल,
कर्मपुरा,
नई दिल्ली-110015

प्रतिलिपि :- श्री नीरज कुमार, पुलिस आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष: 23092856

Issued
1702
4/7